

नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025
अत्यावश्यक



राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या - न.नि.50-28/2025 - २९०३
प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा, भा.प्र.से.
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिल निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)

(गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, वैशाली, शिवहर,
दरभंगा, मधेपुरा, किशनगंज, शेखपुरा एवं जमुई जिला को छोड़कर)

पटना, दिनांक - २६.६.२०२५

विषय : नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 - मतदान के दिन भेजे जाने वाले प्रतिवेदन के संबंध में।
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संलग्न प्रपत्र में मतदान दिवस को भेजे जाने
वाले प्रतिवेदन निर्वाची पदाधिकारियों से प्राप्त कर निम्नांकित समयानुसार आयोग को भेजने की कृपा की
जाए :-

- (i) मतदान प्रारंभ - 7 A.M.
- (ii) 9 A.M.
- (iii) 11 A.M.
- (iv) 1 P.M.
- (v) 3 P.M.
- (vi) मतदान समाप्ति - 5 P.M.
- (vii) समेकित एवं अन्तिम प्रतिवेदन - 7 P.M.

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक - न.नि.50-28/2025 - २९०३

पटना, दिनांक - २६.६.२५

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - न.नि.50-28/2025 - २९०३

पटना, दिनांक - २६.६.२५

प्रतिलिपि, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - न.नि.50-28/2025 - २९०३

पटना, दिनांक - २६.६.२०२५

प्रतिलिपि, सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

सचिव।

नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025
मतदान के दिन भेजे जाने वाले प्रतिवेदन का प्रपत्र

जिला का नाम -

नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत का नाम -

प्रतिवेदन की तिथि समय -

1. प्राकृतिक आपदा, दंगा, हिंसा या अन्य कारणों से मतदान में बाधा या रूकावट -
2. इ.वी.एम. में तोड़फोड़ के कारण मतदान का रद्द होना -
3. इ.वी.एम. में मतदाताओं द्वारा अवैध रूप से मत रिकार्ड करना -
4. बूथ कैचरिंग -
5. हिंसा एवं विधि व्यवस्था का उल्लंघन -
6. भूल एवं अनियमितता बरतने के कारण मतदान प्रभावित होना -
7. मौसम की स्थिति -
8. (क) मतदान का प्रतिशत कुल - पुरुष मतदान का प्रतिशत
महिला मतदान का प्रतिशत
- (ख) ई.वोटिंग का प्रतिशत कुल - पुरुष मतदान का प्रतिशत
(यदि लागू न हो, उसे काट दें।) महिला मतदान का प्रतिशत
9. पीठासीन पदाधिकारी की डायरी के संवीक्षा में किसी तरह की अनियमितता का उल्लेख, यदि कोई हो -
10. पुनर्मतदान आदि की अनुशंसा -
11. अभ्युक्ति -

स्थान -

तारीख -

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर